खण्ड-3

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2018-2019 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2018-2019 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय–व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय–व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष **2018-2019** के आय–व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

	(₹ लाख में)
क– राजस्व लेखा	**653507.23**
ख– पूंजी लेखा	**780682.13**
कुल योग :	**1434189.36**

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
002	आवास विभाग	...	45000.00	...	45000.00	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	35100.00	...	...	35100.00	
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2608.22	...	...	2608.22	
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	5000.00	...	...	5000.00	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	6920.00	120000.00	...	126920.00	
009	ऊर्जा विभाग	490172.00	7500.00	...	497672.00	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	222.81	...	...	222.81	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	...	300.00	...	300.00	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	22004.91	15000.00	...	37004.91	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	...	310.00	...	310.00	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	13308.09	9660.09	...	22968.18	
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	1552.01	...	...	1552.01	
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2500.00	...	...	2500.00	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	3096.00	...	...	3096.00	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	100.00	...	...	100.00	
022	खेल विभाग	2500.00	2253.39	...	4753.39	
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	...	6726.00	...	6726.00	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2500.00	...	86700.00	89200.00	
025	गृह विभाग (कारागार)	...	1563.35	...	1563.35	
026	गृह विभाग (पुलिस)	2979.65	10852.45	...	13832.10	
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	50.00	...	...	50.00	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	180.03	5848.00	...	6028.03	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	7563.70	...	...	7563.70	
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	119.44	250.00	...	369.44	
037	नगर विकास विभाग	...	5000.00	...	5000.00	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	15000.00	...	...	15000.00	
040	नियोजन विभाग	...	100000.00	...	100000.00	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
041	निर्वाचन विभाग	...	5000.00	...	5000.00	
042	न्याय विभाग	1075.00	400.00	...	1475.00	
043	परिवहन विभाग	...	2679.50	...	2679.50	
044	पर्यटन विभाग	7550.00	16794.18	...	24344.18	
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1200.90	...	...	1200.90	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	12087.25	...	...	12087.25	
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	114.28	2271.49	...	2385.77	
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	23.00	...	...	23.00	
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	...	882.75	...	882.75	
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	1968.99	...	1968.99	
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	...	34000.00	...	34000.00	
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	15757.00	...	15757.00	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	...	115700.00	...	115700.00	
060	वन विभाग	145.00	2355.00	...	2500.00	
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	91.00	...	...	91.00	
067	विधान परिषद् सचिवालय	...	500.00	...	500.00	
068	विधान सभा सचिवालय	57.42	107.50	...	164.92	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	600.00	...	...	600.00	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2500.00	...	...	2500.00	
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	...	50501.32	...	50501.32	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8096.20	8000.00	...	16096.20	
074	गृह विभाग (होमगार्डस)	1279.15	...	...	1279.15	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1577.00	...	...	1577.00	
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	...	28.30	...	28.30	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	2287.55	42721.00	...	45008.55	
089	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	...	933.20	...	933.20	
092	संस्कृति विभाग	550.00	1000.00	...	1550.00	
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	146.62	62118.62	...	62265.24	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	650.00	...	...	650.00	
	कुलयोग	653507.23	693982.13	86700.00	1434189.36	

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना	25000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2- प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	10000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	45000.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	45000.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-एक जनपद एक उत्पाद योजना	25000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों हेतु "मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना"	10000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3-मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना	100.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	35100.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	35100.00
005	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन	108.22
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार नीति-2017	2500.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	2608.22
		अनुदान संख्या 005 का योग	2608.22
006	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017	5000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 006 का योग	5000.00
007	2852-उद्योग	1-उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर	1200.00
	2852-उद्योग	2-माई-गव प्लेटफार्म	320.00
	2852-उद्योग	3-मुख्यमंत्री हेल्पलाईन	100.00
	2852-उद्योग	4-यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू.पी.स्वान-2.0)	2000.00
	2852-उद्योग	5-विभागों में आधार प्रमाणीकरण / अथेन्टिकेशन सुविधा का सृजन	300.00
	2852-उद्योग	6-शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था	3000.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	6920.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना	55000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना	65000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	120000.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	126920.00
009	2801-बिजली	1-उदय योजना	489172.00
	2801-बिजली	2-विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु	1000.00
		लेखा शीर्ष 2801 का योग	490172.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-11 के.वी. सब स्टेशनों पर कैपेसिटर्स बैंक की स्थापना	7500.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	7500.00
		अनुदान संख्या 009 का योग	497672.00
010	2401-फसल कृषि कर्म	1-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना	50.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	50.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना	147.81
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3-टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन योजना	25.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	172.81
		अनुदान संख्या 010 का योग	222.81
011	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	1-कृषि विश्वविद्यालय, बांदा के वेटनरी कालेज के अन्तर्गत टी.वी.सी.सी. काम्प्लेक्स का निर्माण	300.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	300.00
		अनुदान संख्या 011 का योग	300.00
013	2216-आवास	1-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु हुडको से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान	21500.00
		लेखा शीर्ष 2216 का योग	21500.00
	2702-लघु सिंचाई	2-सामूहिक मिनी ग्रीन ट् यूबवेल का निर्माण	504.91

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	504.91
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	15000.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	15000.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	37004.91
014	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद बलरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना	310.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	310.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	310.00
015	2403-पशु पालन	1-छुट्टा गोवंशों के रख-रखाव हेतु	1752.00
	2403-पशु पालन	2-जनपद बरेली में पशुधन उत्थान वर्ण संकर केन्द्र की स्थापना	1054.00
	2403-पशु पालन	3-पशु संजीवनी कार्यक्रम	2422.35
	2403-पशु पालन	4-पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास की योजना	200.00
	2403-पशु पालन	5-पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना	7470.00
	2403-पशु पालन	6-भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रचार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)	120.00
	2403-पशु पालन	7-मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना	19.74
	2403-पशु पालन	8-राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	270.00
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	13308.09
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	9-बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहारों" की स्थापना	9277.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	10-मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना	383.09
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	9660.09
		अनुदान संख्या 015 का योग	22968.18
016	2404-डेरी विकास	1-"डेरी विकास फण्ड की स्थापना"	1500.00
	2404-डेरी विकास	2-"नन्द बाबा पुरस्कार"	52.01
		लेखा शीर्ष 2404 का योग	1552.01

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 016 का योग	1552.01
017	2405-मछली पालन	1-"मत्स्य पालक कल्याण फण्ड" की स्थापना	2500.00
		लेखा शीर्ष 2405 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 017 का योग	2500.00
018	2425-सहकारिता	1-प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में कम्प्यूटराईजेशन	3096.00
		लेखा शीर्ष 2425 का योग	3096.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	3096.00
021	2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	1-एफ.पी.एस. आटोमेशन एवं डी.बी.टी. योजना हेतु एस.पी.एम.यू.	100.00
		लेखा शीर्ष 2408 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	100.00
022	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1-एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना	2500.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	2500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-म्योहाल, इलाहाबाद के मुख्य भवन का जीर्णोद्धार	300.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	300.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-चौक स्टेडियम, लखनऊ में निर्माण कार्य	353.39
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद वाराणसी स्थित स्पोट् र्स स्टेडियम में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढ़ीकरण	600.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में विभिन्न कार्य	1000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1953.39
		अनुदान संख्या 022 का योग	4753.39
023	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण	5694.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण	1032.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	6726.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 023 का योग	6726.00
024	2852-उद्योग	1-चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013	2500.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	2-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की मिलों के ऑफ सीज़न मरम्मत एवं संचालन	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	3-किसान सहकारी चीनी मिल रमाला (बागपत) का विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण	15000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	4-चीनी मिल, पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना	30000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	5-चीनी मिल, मुण्डेरवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना	24000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	6-रुग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान	4000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	7-सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु	10000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	8-सहकारी चीनी मिलों में स्थापित एफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (ई.टी.पी.) का आधुनिकीकरण	1200.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	86700.00
		अनुदान संख्या 024 का योग	89200.00
025	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-कारागार में गौशाला निर्माण	200.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था	1000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-जिला कारागार, सोनभद्र में विद्युत फीडर का निर्माण	363.35
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	1563.35
		अनुदान संख्या 025 का योग	1563.35
026	2055-पुलिस	1-कुम्भ-2019, इलाहाबाद	950.00
	2055-पुलिस	2-थानों हेतु वाहनों की व्यवस्था	471.10
	2055-पुलिस	3-विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा	58.55
	2055-पुलिस	4-स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (एस.पी.ओ.टी.)	1500.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2055 का योग	2979.65
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	5-थानों हेतु वाहनों की व्यवस्था	4711.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	6-विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा	641.45
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	7-स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (एस.पी.ओ.टी.)	3500.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	8852.45
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-तहसीलों हेतु फायर फाइटिंग उपकरण	2000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	13832.10
030	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-अभिसूचना संकलन हेतु	50.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 030 का योग	50.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज	0.03
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों में शव वाहन का क्रय	180.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	180.03
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर का उच्चीकरण	1200.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज	300.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजकीय मेडिकल कालेज एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी	2500.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद में बर्न यूनिट	1386.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में एम्बुलेंस / क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का क्रय	462.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	5848.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	6028.03
032	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम	200.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-राजकीय चिकित्सालयों में पैथालॉजी उपकरणों आदि के संचालनार्थ रिएजेन्ट आदि की व्यवस्था	5000.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	5200.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	2363.70
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	2363.70
		अनुदान संख्या 032 का योग	7563.70
033	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-आठ आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम	10.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वाराणसी में स्नातकोत्तर पाठ् यक्रम	109.44
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	119.44
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना	250.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	250.00
		अनुदान संख्या 033 का योग	369.44
037	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1-माननीय जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	5000.00
038	3053-नागर विमानन	1-उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) के अन्तर्गत वायु सेवा उपलब्ध कराया जाना	15000.00
		लेखा शीर्ष 3053 का योग	15000.00
		अनुदान संख्या 038 का योग	15000.00
040	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5000.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2-त्वरित आर्थिक विकास योजना	18000.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	18000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-त्वरित आर्थिक विकास योजना	16000.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	16000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	61000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	61000.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	100000.00
041	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-ई.वी.एम. / वी.वी.पैट भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण	5000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 041 का योग	5000.00
042	2014-न्याय प्रशासन	1-उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ते के एरियर का भुगतान	75.00
		लेखा शीर्ष 2014 का योग	75.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-युवा अधिवक्ताओं के लिये किताब एवं पत्रिका	1000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	1000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न निर्माण कार्य	400.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	400.00
		अनुदान संख्या 042 का योग	1475.00
043	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर के लिये भूमि का क्रय एवं भवन निर्माण	2179.50
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हॉल का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	2679.50
		अनुदान संख्या 043 का योग	2679.50
044	3452-पर्यटन	1-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन	50.00
	3452-पर्यटन	2-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के वेतन एवं कार्यालय व्यय	500.00
	3452-पर्यटन	3-पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन	7000.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 3452 का योग	7550.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	4-अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	2000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	10000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	6-कुम्भ मेला, इलाहाबाद में 50 कि.मी. परिधि में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के सम्बन्ध में	1000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	7-जनपद उन्नाव में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	51.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8-जनपद गोरखपुर के पर्यटन स्थलों का विकास	1243.18
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	9-जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	10-जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास	2000.00
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	16794.18
		अनुदान संख्या 044 का योग	24344.18
047	2203-तकनीकी शिक्षा	1-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को सहायता अनुदान	400.30
	2203-तकनीकी शिक्षा	2-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी को सहायता अनुदान	400.30
	2203-तकनीकी शिक्षा	3-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र को सहायता अनुदान	400.30
		लेखा शीर्ष 2203 का योग	1200.90
		अनुदान संख्या 047 का योग	1200.90
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-आधार नामांकन किट की व्यवस्था	4036.50
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम	8050.75
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	12087.25
		अनुदान संख्या 049 का योग	12087.25
050	2053-जिला प्रशासन	1- नवसृजित तहसीलों में तहसीलदार / उप जिलाधिकारी हेतु वाहन क्रय	114.28
		लेखा शीर्ष 2053 का योग	114.28
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार	1286.65

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		/ सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय	
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1286.65
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था	984.84
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	984.84
		अनुदान संख्या 050 का योग	2385.77
051	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1-जनपदों में मॉक एक्सरसाईज का आयोजन	23.00
		लेखा शीर्ष 2245 का योग	23.00
		अनुदान संख्या 051 का योग	23.00
052	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-तहसील स्तर पर राजस्व बन्दी गृहों के निर्माण कार्य	30.46
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में निर्माण कार्य	150.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय एवं छात्रावास, गोण्डा के अवशेष कार्यों को पूरा कराया जाना	581.85
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट का उच्चीकरण	100.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	862.31
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य	20.44
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	20.44
		अनुदान संख्या 052 का योग	882.75
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन	224.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय नये भवनों का निर्माण	50.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों का निर्माण	20.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-कार्यालय भवनों का निर्माण	35.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान	20.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	700.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	120.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1369.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	9-आवासीय भवनों का निर्माण	349.99
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	10-जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण	200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	11-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	50.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	599.99
		अनुदान संख्या 055 का योग	1968.99
056	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	20000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	14000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	34000.00
		अनुदान संख्या 056 का योग	34000.00
057	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	7879.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	3939.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	3939.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	15757.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	15757.00
058	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अनजुड़ी बसावटों में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओं का निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार /	1000.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		उच्चीकरण	
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण	3000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में मार्ग सुरक्षा कार्य	3000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओं का निर्माण	500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण / उच्चीकरण / पुनर्निर्माण	2500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15- प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण	4000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	7900.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-रोड फर्नीचर एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	21-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	22-शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	5000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	115700.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	115700.00
060	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	1-सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री	145.00
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	145.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	2-कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना	500.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	3-सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री	1855.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	2355.00
		अनुदान संख्या 060 का योग	2500.00
065	2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	1-ई-पेंशन प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु पेंशन निदेशालय एवं मण्डलीय कार्यालयों पर बी.एस.एन.एल. से इन्टरनेट लीज़ लाईन	91.00
		लेखा शीर्ष 2054 का योग	91.00
		अनुदान संख्या 065 का योग	91.00
067	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान परिषद् की कार्यवाहियों का आटोमेशन / डिजिटाइजेशन	500.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 067 का योग	500.00
068	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-विधान भवन की चित्र वीथिका में स्थापित माननीय मुख्यमंत्रियों के तैल चित्रों तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हाल में स्थापित माननीय अध्यक्षों के तैल चित्रों का अनुरक्षण	57.42
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	57.42
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत कार्य	55.20
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-विधान सभा परिसर में स्थित महिला विश्रामालय कक्ष का आधुनिकीकरण तथा मुख्य भवन स्थित सभा मण्डप एवं विभिन्न दीर्घाओं में स्थापित आसनों की मरम्मत तथा कुशन, गदि् दयों को परिवर्तित कराया जाना	52.30
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	107.50
		अनुदान संख्या 068 का योग	164.92
069	2230-श्रम तथा रोजगार	1-स्किल्स एक्जीविशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईविलीहुडनेस (संकल्प)	600.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	600.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	600.00
070	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1-निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर	2500.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु प्रोत्साहन	
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	2500.00
071	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	50000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण	501.32
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	50501.32
		अनुदान संख्या 071 का योग	50501.32
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-प्रदेश में संचालित विभिन्न बोर्ड से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र / छात्राओं को सम्मानित किया जाना	85.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी भाषा पढ़ाया जाना	11.20
	2202-सामान्य शिक्षा	3-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	8000.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	8096.20
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	8000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	8000.00
		अनुदान संख्या 072 का योग	16096.20
074	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-कुम्भ मेला में होमगाड् र्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन, प्रबन्धन एवं संचरण	1279.15
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	1279.15
		अनुदान संख्या 074 का योग	1279.15
076	2230-श्रम तथा रोजगार	1-अटल पेंशन योजना	1252.00
	2230-श्रम तथा रोजगार	2-उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण निधि	200.00
	2230-श्रम तथा रोजगार	3- दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना	125.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	1577.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	1577.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
079	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1-मानसिक मंदित आश्रय सह प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ एवं गोरखपुर की चहारदीवारी का निर्माण / ऊँचा किया जाना	28.30
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	28.30
		अनुदान संख्या 079 का योग	28.30
083	2202-सामान्य शिक्षा	1-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1600.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	1600.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	636.30
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	636.30
	2702-लघु सिंचाई	3-लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक / डिप्लोमा होल्डर का प्रशिक्षण	9.62
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	9.62
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	4-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना	41.63
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	41.63
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1600.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1600.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6-मुख्यमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	5000.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	5000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	7-पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनायें	10000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8-बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनायें	6000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	16000.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9-वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन	1380.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	1380.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण	274.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के	3000.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य	
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-कृषि विपणन के लिये मार्गों / लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-ग्रामीण सेतुओं के नये कार्य	1345.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	1061.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	2000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	1061.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	18741.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	45008.55
089	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-वाणिज्य कर कार्यालयों में लिफ्ट की स्थापना तथा विभागीय भवनों / आवासीय भवनों में विभिन्न लघु निर्माण कार्य	933.20
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	933.20
		अनुदान संख्या 089 का योग	933.20
092	2205-कला एवं संस्कृति	1-कबीर अकादमी की स्थापना	50.00
	2205-कला एवं संस्कृति	2-कुम्भ मेला-2019, इलाहाबाद	500.00
		लेखा शीर्ष 2205 का योग	550.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद - बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित करने के लिये संग्रहालय	1000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	1550.00

वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
094	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	1-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	146.62
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	146.62
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	18089.72
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	18089.72
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-लघु सिंचाई की परियोजनायें	3900.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	3900.00
	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	40128.90
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	40128.90
		अनुदान संख्या 094 का योग	62265.24
095	2700-मुख्य सिंचाई	1-उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग	650.00
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	650.00
		अनुदान संख्या 095 का योग	650.00

व्यय की नई मांग

का विवरण

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना

वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य शहरी विकास योजनायें
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
07- वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजना
30-निवेश/ऋण 10000.00

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य शहरी विकास योजनायें
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
08- दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना
30-निवेश/ऋण 25000.00

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर एवं अन्य नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य शहरी विकास योजनायें
800- अन्य व्यय
07- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्रधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

129 प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों हेतु "मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना"

"मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना" के अन्तवर्गत प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवकों / युवतियों को स्व रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
102- लघु उद्योग
27- "मुख्य मंत्री युवा स्व - रोजगार" योजना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 10000.00

---

131 एक जनपद एक उत्पाद योजना

प्रदेश के प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुये उनके कुलशतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिये "एक जनपद एक उत्पाद योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
102- लघु उद्योग
28- "एक जनपद एक उत्पाद" योजना
42-अन्य व्यय 25000.00

---

130 मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पयों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण बनाये रखने के लिये "मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
800- अन्य व्यय
15- "मुख्य मंत्री हस्तशिल्प पेंशन" योजना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

अनुदान संख्या 005

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

132 कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन

कम्बल कारखानों के पुनर्संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 108.22 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 108.22 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851-	ग्राम तथा लघु उद्योग	
105-	खादी ग्रामोद्योग	
28-	कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	108.22

---

133 खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार नीति-2017

प्रदेश में सतत् रोजगार सृजन तथा खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास के लिये पूंजीनिवेश बढ़ाने के लिये "खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार नीति-2017" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851-	ग्राम तथा लघु उद्योग	
105-	खादी ग्रामोद्योग	
29-	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

135 उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017

प्रदेश में हैण्डलूम, पावरलूम, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिग के उन्नयन के लिये निजी टेक्सटाइल पार्कों / औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन दिये जाने तथा प्रदर्शनियों एवं विपणन में सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
800- अन्य व्यय
02- उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति, 2017
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 5000.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन

जन-सामान्य की शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के अन्तर्गत इन बाउण्ड - आउट बाउण्ड काल सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
07- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
42-अन्य व्यय 100.00

विभागों में आधार प्रमाणीकरण / अथेन्टिकेशन सुविधा का सृजन

विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनोपयोगी योजनाओं का लाभ नागरिकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करने के लिये योजनाओं में आधार सीडिंग के उपरान्त लाभार्थियों का आधार ऑथेन्टिकेशन / वैलिडेशन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
23- विभागों में आधार प्रमाणीकरण / ऑथन्टिकेशन सुविधा का सृजन
42-अन्य व्यय 300.00

माई-गव प्लेटफार्म

प्रदेश में माई-गव प्लेटफार्म का उपयोग आम जनमानस के लिये अधिकाधिक किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 320.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 320.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
24- माई गव प्लेटफार्म
42-अन्य व्यय 320.00

यू.पी.स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू.पी.स्वान-2.0)

उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू.पी.स्वान-1.0) की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू.पी.स्वान-2.0) की स्थापना एवं संचालन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में जनपद स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक के कार्यालय की नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
25- यू0 पी0 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यू0 पी0 स्वान-2)
42-अन्य व्यय 2000.00

शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था

प्रदेश के समस्त जनपदों / मण्डलों पर स्थित कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
27- शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था
42-अन्य व्यय 3000.00

उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर

उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर का वार्षिक अनुरक्षण तथा ऑपरेशन्स एवं मेंटीनेंस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
17- स्टेट डाटा सेन्टर
42-अन्य व्यय 1200.00

---

142 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को ई.पी.सी. पद्धति पर विकसित करने, परामर्शी सेवाओं, भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 650.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 650.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
06- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना
24-वृहत् निर्माण कार्य 65000.00

---

143 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना

जिलों के मध्य त्वरित आवागमन, कृषि उत्पादों के विपणन तथा उद्योगों के विकास हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से बनाये जाने वाले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 550.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 550.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
07- गोरखपुर लिंक एक्स्प्रेस-वे परियोजना
24-वृहत् निर्माण कार्य 55000.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

234 उदय योजना

उदय योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूति के सापेक्ष स्वीकृत ब्याज रहित ऋण को अनुदान में परिवर्तित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 4891.72 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 4891.72 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
05- संचरण एवं वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य, उपक्रमों को सहायता
02- उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी बंधपत्रों (2015-16 एवं 2016-17) के 25% के समतुल्य यू0 पी0 पी0 सी0 एल 0 को स्वीकृत ब्याज रहित ऋण का अनुदान में परिवर्तन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 489172.00

---

144 विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु

विद्युत चोरी की रोकथाम के लिये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सतर्कता इकाई को उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
05- संचरण एवं वितरण
800- अन्य व्यय
21- विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु
42-अन्य व्यय 1000.00

---

145 11 के.वी. सब स्टेशनों पर कैपेसिटर्स बैंक की स्थापना

विद्युत वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करने के लिये 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों पर 11 के.वी. कैपेसिटर्स बैंक लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
06- ग्रामीण विद्युतीकरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
09- 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना (के.75/रा.25-रा.)
30-निवेश/ऋण 7500.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

147 आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना

बाजार में आलू का आवक अधिक बढ़ने के कारण बाजार मूल्यों में गिरावट होने से कृषकों को आर्थिक क्षति से बचाने के लिये आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
108- वाणिज्यिक फसलें	
09- आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना	
42-अन्य व्यय	50.00

---

146 टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन योजना

टसर रेशम उत्पादन के लिये अर्जुन नर्सरी पौधालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	
13- टसर रेशम के लिए नर्सरी पौध उत्पादन योजना	
02-मजदूरी	10.52
42-अन्य व्यय	2.73
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	11.75
योग -	25.00

---

148 केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना

प्रदेश में रेशम कार्यक्रम के तहत कीटपालन गृह निर्माण एवं कीट पालन उपकरण / धागाकरण इकाई की स्थापना के लिये रेशम विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 147.81 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 147.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
107- रेशम उत्पादन उद्योग	
14- केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)	
42-अन्य व्यय	147.81

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

149 कृषि विश्वविघालय, बांदा के वेटनरी कालेज के अन्तर्गत टी.वी.सी.सी. काम्प्लेक्स का निर्माण

कृषि विश्वविघालय, बांदा के वेटनरी कालेज के अन्तर्गत टी.वी.सी.सी. काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
277- शिक्षा
29- कृषि विश्वविघालय, बांदा
2913- टी0 वी0 सी0 सी0 काम्प्लेक्स का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

150 उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु हुडको से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हुडको से लिये गये ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 215.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 215.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2216- आवास
03- ग्रामीण आवास
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु हुडको से लिए गये ऋण के मूलधन का भुगतान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 21500.00

---

151 सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल का निर्माण

प्रदेश में सौर ऊर्जा चालित नलकूपों को बढावा देने हेतु सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 504.91 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 504.91 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
12- सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना
27-सब्सिडी 504.91

---

180 मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्राकृतिक आपदा के कारण आवासविहीन परिवार, कालाजार, जे.ई. प्रभावित क्षेत्र के तथा वनटांगिया एवं मुसहर जनजाति के आवास विहीन तथा कच्चे / जर्जर आवासों में निवास करने वाले ऐसे परिवार, जो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की पात्रता सूची में नहीं आते हैं, के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
03- ग्रामीण आवास
800- अन्य व्यय
06- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

152 जनपद बलरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना

इमिलिया कोडर, जनपद बलरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 310.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 310.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

05- जनपद बलरामपुर में ग्रामीण स्टेडियम

24-वृहत् निर्माण कार्य 310.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

160 पशु संजीवनी कार्यक्रम

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नेशनल मिशन ऑन बोवाईन प्रोडक्टिविटी (एन.एम.बी.पी.) के अन्तर्गत पशु संजीवनी योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 2422.35 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 2422.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन	
102- पशु तथा भैंस विकास	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103- पशु संजीवनी कार्यक्रम (के.60/रा.40.-के.+रा.)	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	663.44
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1218.91
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	540.00
योग -	2422.35

---

153 छुट्टा गोवंशों के रख-रखाव हेतु

प्रदेश के 16 नगर निगमों में छुट्टा गोवंशों के रख-रखाव के लिये स्थापित गोशालाओं में गोवंश के रख-रखाव के लिये सहायता की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 17.52 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 17.52 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन	
102- पशु तथा भैंस विकास	
27- छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1752.00

---

158 जनपद बरेली में पशुधन उत्थान वर्ण संकर केन्द्र की स्थापना

जनपद बरेली में पशुधन उत्थान वर्ण संकर केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.54 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.54 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन	
102-	पशु तथा भैंस विकास	
30-	जनपद बरेली में पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र	
	01-वेतन	208.37
	02-मजदूरी	15.00
	03-मंहगाई भत्ता	12.50
	04-यात्रा व्यय	2.00
	08-कार्यालय व्यय	2.00
	09-विघुत देय	30.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	300.00
	39-औषधि तथा रसायन	89.00
	42-अन्य व्यय	4.13
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	350.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4.00
	योग -	1054.00

---

156 राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 270.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 270.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन	
103-	कुक्कुट विकास	
08-	राजकीय कुक्कुट / बत्तख प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	
	42-अन्य व्यय	270.00

---

154 भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रचार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)

प्रदेश में भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 120.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 120.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
104- भेड़ तथा ऊन विकास
03- भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)

02-मजदूरी	10.00
29-अनुरक्षण	40.00
39-औषधि तथा रसायन	10.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	10.00
42-अन्य व्यय	10.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	40.00
योग -	120.00

---

161 मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाघ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से अलीगढ में मॉस परीक्षण के लिये क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 19.74 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 19.74 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
111- मांस संसाधन
03- मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.10
42-अन्य व्यय	10.14
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	9.50
योग -	19.74

पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास की योजना

पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
800- अन्य व्यय
07- पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना

बेरोजगारी दूर कर लोगों का पलायन रोकने के लिये पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 74.70 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 74.70 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
800- अन्य व्यय
08- पं0 दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना

04-यात्रा व्यय	20.00
08-कार्यालय व्यय	10.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7400.00
42-अन्य व्यय	10.00
योग -	7470.00

मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाघ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से अलीगढ में मॉस परीक्षण के लिये क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 383.09 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 383.09 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
111- मांस संसाधन
03- मॉस परीक्षण हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लैब की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य	30.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	353.09
योग -	383.09

---

155 बुन्देलखण्ड में "गोवंश वन्य विहारों" की स्थापना

बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिये 1000 गोवंश क्षमता वाले "गोवंश वन्य विहारों" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 92.77 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 92.77 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
03- बुन्देलखण्ड में ''गोवंश वन्य विहार'' की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 9277.00

अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

163 **"डेरी विकास फण्ड की स्थापना"**

प्रदेश में दुग्ध क्रान्ति लाये जाने के दृष्टिगत "डेरी विकास फण्ड की स्थापना" हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2404-	डेरी विकास	
102-	डेरी विकास परियोजनायें	
08-	''डेरी विकास फण्ड की स्थापना''	
	42-अन्य व्यय	1500.00

---

162 **"नन्द बाबा पुरस्कार"**

देशी नस्ल की गाय पालने वाले सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहित करने के लिये "नन्द बाबा पुरस्कार" योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 52.01 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 52.01 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2404-	डेरी विकास	
800-	अन्य व्यय	
04-	''नन्द बाबा पुरस्कार''	
	42-अन्य व्यय	52.01

अनुदान संख्या 017

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

164 **"मत्स्य पालक कल्याण फण्ड" की स्थापना**

प्रदेश में मत्स्य पालन को बढावा देने और उससे जुडे मछुआरा समाज के कल्याण के लिये "मत्स्य पालक कल्याण फण्ड" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2405- मछली पालन
800- अन्य व्यय
12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड
42-अन्य व्यय 2500.00

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

165 प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में कम्प्यूटराईजेशन

प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में कम्प्यूटराईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.96 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.96 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2425- सहकारिता

107- क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता

03- प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) में कम्प्यूटराइजेशन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 3096.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

095 एफ.पी.एस. आटोमेशन एवं डी.बी.टी. योजना हेतु एस.पी.एम.यू.

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीनों द्वारा वितरण कराये जाने एवं डी.बी.टी. योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिये एस.पी.एम.यू. का गठन किया जाना है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2408 -	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	
01 -	खाद्य	
001 -	निदेशन तथा प्रशासन	
02 -	एफ 0 पी0 एस 0 आटोमेशन एवं डी0 बी0 टी0 योजना	
	02-मजदूरी	95.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50
	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2.00
	26-मशिनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.50
	योग -	100.00

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

097 एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना

सरकारी एवं निजी भागीदारी से पहले से मौजूद स्पोर्ट्स कालेजों को पुनर्जीवित किये जाने एवं छात्रों को स्पोर्ट्स फैलोशिप प्रदान किये जाने के लिये "एकलव्य क्रीड़ा कोष" की स्थापना की जानी है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें
104 - खेलकूद
36 - एकलव्य क्रीडा कोष
42-अन्य व्यय 2500.00

---

099 म्योहाल, इलाहाबाद के मुख्य भवन का जीर्णोद्धार

म्योहाल, इलाहाबाद के मुख्य भवन का जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80 - सामान्य
051 - निर्माण
04 - म्योहाल, इलाहाबाद
0401 - मुख्य भवन का जीर्णोद्धार
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

---

100 वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में विभिन्न कार्य

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में विभिन्न कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
61-	बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर	
6105-	आर 0 सी0 सी0 रोड का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	57.65
6106-	मल्टीजिम भवन का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	42.35
6107-	मिट्टी भराई का कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
6108-	छात्रावास भवन का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
6109-	छात्रावास की मरम्मत	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
6110-	मेस एवं डायनिंग हाल का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
	योग -	1000.00

---

096 चौक स्टेडियम, लखनऊ में निर्माण कार्य

जनपद - लखनऊ स्थित चौक स्टेडियम, लखनऊ में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कराये जाने के लिये रूपये 290.86 लाख तथा पैवेलियन के ऊपर टीनशेड का निर्माण एवं टायलेट का निर्माण कराये के लिये रूपये 62.53 लाख, अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 353.39 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 353.39 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
97-	चौक स्टेडियम, लखनऊ	
9701-	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	290.86
9702-	टीनशेड तथा ट्वायलेट का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	62.53
	योग -	353.39

---

098 जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढीकरण

जनपद - वाराणसी स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढीकरण के कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
03- खेलकूद तथा युवा सेवा
800- अन्य व्यय
98- जनपद वाराणसी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम
9801- खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत / सुदृढीकरण का कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 600.00

अनुदान संख्या 023

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

108 अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में यातायात सुविधा प्रदान कर चीनी मिलों को गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 56.94 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 56.94 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
03 - कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5694.00

---

107 अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण

चीनी मिल क्षेत्रों में अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण / पुनर्निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.32 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.32 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
04 - चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण एवं पुनर्निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1032.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013

चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत चीनी मिलों में किये गये / किये जा रहे निवेश के सापेक्ष क्लेम की जाने वाली रियायतों के भुगतान के लिये वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
08- उपभोक्ता उद्योग
201- चीनी
08- चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत छूट / रियायतें
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2500.00

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की मिलों के ऑफ सीज़न मरम्मत एवं संचालन

पेराई सत्र 2018-2019 को समय से प्रारम्भ किये जाने के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के ऑफ सीज़न मरम्मत एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज
30-निवेश/ऋण 2500.00

चीनी मिल, मुण्डरेवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना

चीनी मिल, मुण्डरेवा, बस्ती में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 240.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 240.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
11- बंद चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 24000.00

चीनी मिल, पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना

चीनी मिल, पिपराईच, गोरखपुर में नई चीनी मिल एवं को-जनरेशन प्लाण्ट तथा आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
12- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 30000.00

रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों का भुगतान

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल पुवायाँ, कायमगंज, बदायूं, साथा एवं सुल्तानपुर की चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
15- रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 4000.00

सहकारी चीनी मिलों में स्थापित एफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (ई.टी.पी.) का आधुनिकीकरण

सहकारी चीनी मिलों में स्थापित एफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (ई.टी.पी.) के आधुनिकीकरण के लिये रूपये 60 लाख प्रति चीनी मिल की दर से कुल 20 चीनी मिलों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
16- सहकारी चीनी मिलों में स्थापित प्लाण्ट उत्प्रवाह संयंत्र का आधुनिकीकरण
30-निवेश/ऋण 1200.00

किसान सहकारी चीनी मिल रमाला (बागपत) का विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण

किसान सहकारी चीनी मिल रमाला (बागपत) के 2,750 टी.सी.डी. विस्तारित करने एवं आधुनिकीकरण किये जाने तथा 27 मेगावाट को-जनरेशन परियोजना को स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
17- सहकारी चीनी मिल रमाला के विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण एवं कोजनरेशन परियोजना हेतु
30-निवेश/ऋण 15000.00

सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में कार्यक्षमता में सुधार एवं अपग्रेडेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
18- सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 10000.00

अनुदान संख्या 025

गृह विभाग (कारागार)

117 कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था

प्रदेश के कारागारों में निर्बाध रूप से लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिये प्रथम चरण में 10 कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
22- कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

---

118 जिला कारागार, सोनभद्र में विद्युत फीडर का निर्माण

जिला कारागार, सोनभद्र में नियमित विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिये 11 के.वी. विद्युत फीडर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 363.35 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 363.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
23- जिला कारागार, सोनभद्र में विद्युत फीडर का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 363.35

---

119 कारागार में गौशाला निर्माण

प्रदेश की 12 पुरानी कारागारों में गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
24- कारागारों में गौशाला निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा

जनपद - गाजियाबाद एवं गोरखपुर में विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों के लिये सुदृढ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा फ्लीट के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 58.55 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 58.55 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055 - पुलिस

101 - आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

04 - अनुसंधान अनुभाग--

0409 - सुरक्षा शाखा

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 58.55

स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (एस.पी.ओ.टी.)

आतंकवादी निरोधक दस्ता के अन्तर्गत गठित स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता
04- अनुसंधान अनुभाग--
0410- स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम

01-वेतन	769.65
03-मंहगाई भत्ता	76.97
04-यात्रा व्यय	0.01
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	594.57
08-कार्यालय व्यय	0.01
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.01
13-टेलीफोन पर व्यय	0.01
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.01
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	58.62
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.01
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.01
18-प्रकाशन	0.01
23-गुप्त सेवा व्यय	0.01
42-अन्य व्यय	0.01
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.01
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
49-चिकित्सा व्यय	0.01
51-वर्दी व्यय	0.01
योग -	1500.00

थानों हेतु वाहनों की व्यवस्था

प्रदेश में कानून व्यवस्था तथा आपराधिक गतिविधियों पर तत्परता से कार्यवाही हेतु समस्त थानों को दो-दो चार पहिया वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये कुल 673 वाहनों के क्रय किया जाना है, जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 471.10 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 471.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2055- पुलिस
109- जिला पुलिस
05- मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 471.10

कुम्भ-2019, इलाहाबाद

जनपद - इलाहाबाद में कुम्भ-2019 के लिये विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रुपये 950.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रुपये 950.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2055- पुलिस
800- अन्य व्यय
16- कुम्भ-2019, इलाहाबाद

02-मजदूरी	50.00
08-कार्यालय व्यय	300.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	100.00
13-टेलीफोन पर व्यय	100.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100.00
42-अन्य व्यय	300.00
योग -	950.00

थानों हेतु वाहनों की व्यवस्था

प्रदेश में कानून व्यवस्था तथा आपराधिक गतिविधियों पर तत्परता से कार्यवाही हेतु समस्त थानों को दो-दो चार पहिया वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिये कुल 673 वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रुपये 47.11 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रुपये 47.11 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 4711.00

---

502 स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (एस.पी.ओ.टी.)

आतंकवादी निरोधक दस्ता के अन्तर्गत गठित स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम के लिये उपकरण आदि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 35.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
23- स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 3500.00

---

505 विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा

जनपद - गाजियाबाद एवं गोरखपुर में विशिष्ट / अतिविशिष्ट महानुभावों के लिये सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु सुरक्षा फ्लीट के लिये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 641.45 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 641.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- सुरक्षा व्यवस्था
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 641.45

---

123 तहसीलों हेतु फायर फाइटिंग उपकरण

प्रदेश की 130 तहसीलों में जहाँ अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं हैं, वहाँ अग्नि से बचाव के लिये फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- तहसील हेतु फायर फाइटिंग उपकरण
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 800.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1200.00
योग - 2000.00

अनुदान संख्या 030

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अभिसूचना संकलन हेतु

मुख्यमंत्री अभिसूचना संकलन के लिये गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें
800- अन्य व्यय
04- मुख्यमंत्री अभिसूचना हेतु
23-गुप्त सेवा व्यय 50.00

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

005 राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों में शव वाहन का क्रय

राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों में शव वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 180.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 180.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0379- राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों में शव वाहन
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 180.00

---

001 मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग स्कूल का नर्सिंग कालेज में उच्चीकरण के लिये अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 0.03 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 0.03 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0380- मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज

01-वेतन	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
योग -	0.03

---

006 मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर का उच्चीकरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत मेडिकल कालेज, आगरा एवं कानपुर का उच्चीकरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
10- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) (राज्यांश)
1005- मेडिकल कालेज, कानपुर का उच्चीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 600.00
1006- मेडिकल कालेज, आगरा का उच्चीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 600.00
योग - 1200.00

---

002 राजकीय मेडिकल कालेज एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे.के.कैंसर संस्थान, कानपुर में फायर फाइटिंग एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
72- राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी
24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00
योग - 2500.00

---

003 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में एम्बुलेंस / क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का क्रय

राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में एम्बुलेंस / क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 462.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 462.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
73- राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थान में एम्बुलेन्स / क्रिटिकल केयर एम्बुलेन्स के क्रय हेतु
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 462.00

---

004 राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद में बर्न यूनिट

बर्न इन्जरी चिकित्सा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एम.बी.आई.) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 13.86 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 13.86 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210 -	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03 -	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105 -	एलोपैथी	
74 -	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, गोरखपुर, आगरा तथा इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	870.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	516.00
	योग -	1386.00

---

504 मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग स्कूल का नर्सिंग कालेज में उच्चीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210 -	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03 -	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105 -	एलोपैथी	
75 -	मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में नर्सिंग कालेज	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

007 राजकीय चिकित्सालयों में पैथालॉजी उपकरणों आदि के संचालनार्थ रिएजेन्ट आदि की व्यवस्था

राजकीय चिकित्सालयों में पैथालॉजी उपकरणों आदि के संचालनार्थ रिएजेन्ट आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी
110- अस्पताल तथा औषधालय
11- पैथालॉजी उपकरणों के संचालनार्थ रिएजेन्ट आदि का क्रय
39-औषधि तथा रसायन 5000.00

---

009 बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम

प्रदेश में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, अपर निदेशक कार्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
11- बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम
42-अन्य व्यय 200.00

---

008 वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 2363.70 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 2363.70 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
110- अन्य बीमा योजनायें
05- वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (के.60/रा.40-रा)
42-अन्य व्यय 2363.70

अनुदान संख्या 033

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

182 आठ आयुर्वेदिक महाविघालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम

आठ आयुर्वेदिक महाविघालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां
101- आयुर्वेद
09- आठ आयुर्वेदिक महाविघालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम
42-अन्य व्यय 10.00

---

010 राजकीय आयुर्वेदिक महाविघालय, वाराणसी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

राजकीय आयुर्वेदिक महाविघालय, वाराणसी में तीन विषयों में पाँच-पाँच सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 109.44 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 109.44 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
101- आयुर्वेद
03- शिक्षा
0301- आयुर्वेदिक कालेज

08-कार्यालय व्यय	0.75
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.00
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	96.69
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00
योग -	109.44

---

011 **50** शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना

राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने भवन में स्व. हकीम अब्दुल अजीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना के लिये पुराने भवन का जीर्णोद्धार / नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
06- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल
24-वृहत् निर्माण कार्य 250.00

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

166 माननीय जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

प्रदेश के स्थानीय निकाय के चयनित जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिये जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217 -	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60 -	अन्य शहरी विकास योजनायें	
800 -	अन्य व्यय	
03 -	जनपद गाजियाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

167 उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) के अन्तर्गत वायु सेवा उपलब्ध कराया जाना

उत्तर प्रदेश विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आर.सी.एस.) के अन्तर्गत रियायती दरों पर आम जनमानस को वायु सेवा का लाभ प्रदान किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी.जी.एफ.), सिक्योरिटी व्यय, फायर सर्विस, आपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, रियायती दरों पर बिजली की सुविधा, निःशुल्क जलापूर्ति, एम्बुलेन्स और मेडिकल सुविधायें, आस-पास के मुख्यि नगरों से बस कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3053- नागर विमानन
01- हवाई सेवाएं
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम

42-अन्य व्यय 15000.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

237 त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल एवं बिजली आदि के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
800- अन्य व्यय
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
01- जलपूर्ति
101- शहरी जल पूर्ति
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00
102- ग्रामीण जल पूर्ति
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
02- मल-जल तथा सफाई
101- शहरी सफाई सेवाएं
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
106- मल-जल सेवाएं
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
800- अन्य व्यय
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00
06- ग्रामीण विद्युतीकरण
800- अन्य व्यय

03-	त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301-	विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
80-	सामान्य		
800-	अन्य व्यय		
03-	त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301-	शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		5000.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04-	जिला तथा अन्य सड़कें		
101-	पुल		
03-	त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0302-	नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		8000.00
337-	सड़क निर्माण कार्य		
03-	त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301-	ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		29500.00
0302-	शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		23500.00
		योग -	53000.00
		कुल योग -	100000.00

अनुदान संख्या 041

निर्वाचन विभाग

170 ई.वी.एम. / वी.वी.पैट भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वी.वी.पैट तथा एक जनपद में ई.वी.एम. भण्डारण के लिये गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
04- ई 0 वी0 एम 0/वी0 वी0 पैट भण्डारण के लिये गोदाम निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

173 उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ते के एरियर का भुगतान

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के घरेलू सेवक भत्ता के एक बार एरियर के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014- न्याय प्रशासन
800- अन्य व्यय
15- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को घरेलू सेवक भत्ता
42-अन्य व्यय 75.00

---

171 युवा अधिवक्ताओं के लिये किताब एवं पत्रिका

युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिये किताब और पत्रिका के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200- अन्य कार्यक्रम
17- युवा अधिवक्ताओं के लिये किताब एवं पत्रिका हेतु
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1000.00

---

172 न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न निर्माण कार्य

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की चहारदीवारी की ऊँचाई बढ़ाये जाने तथा परिसर में लेक्चर हाल / कान्फ्रेंस हाल का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
06- न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

174 सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हॉल का निर्माण

पूर्व से निर्मित 05 सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
04- सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयो में सारथी हाल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

---

168 सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर के लिये भूमि का क्रय एवं भवन निर्माण

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर के लिये भूमि का क्रय एवं भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 2179.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 2179.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
19- सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर में भूमि का क्रय एवं भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2179.50

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

177 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के वेतन एवं कार्यालय व्यय

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा के वेतन एवं कार्यलय व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452-	पर्यटन	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
13-	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	250.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	250.00
	योग -	500.00

---

175 पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन

पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत नई पर्यटन इकाईयों / होटलों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452-	पर्यटन	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
14-	पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7000.00

---

189 अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452-	पर्यटन	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
15-	अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन	
	42-अन्य व्यय	50.00

---

192 कुम्भ मेला, इलाहाबाद में 50 कि.मी. परिधि में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के सम्बन्ध में

केन्द्रीय सहायतान्तर्गत डेस्टीनेशन / सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत कुम्भ मेला, इलाहाबाद में 50 कि.मी. परिधि में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस / अन्य कर आदि को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

केन्द्रीय सहायतान्तर्गत डेस्टीनेशन / सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत कुम्भ मेला, इलाहाबाद में 50 कि.मी. परिधि में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस / अन्य कर आदि को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0115- डेस्टीनेशन/सर्किट डेवलपमेंट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

---

191 जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास

जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य में आने वाले पर्यटकों / श्रद्धालुओं को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
38- जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

---

190 जनपद गोरखपुर के पर्यटन स्थलों का विकास

जनपद गोरखपुर स्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 1243.18 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 1243.18 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
39- जनपद गोरखपुर में स्थित पर्यटनों स्थलों का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 1243.18

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण

अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
43- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

जनपद उन्नाव में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन

जनपद उन्नाव में राजाराव राम बख्श सिंह शहीद पार्क में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 51.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 51.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
40- जनपद उन्नाव में पर्यटन विकास
4001- राजाराव राम बख्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं का सृजन
24-वृहत् निर्माण कार्य 51.00

---

188 जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास

जनपद हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
41- जनपद हापुड स्थित गढमुक्तेश्वर में प्रमुख पर्यटन स्थलों का समेकित विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

196 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी को सहायता अनुदान

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी में नियुक्त निदेशक / शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर पदों पर तैनात कर्मियों के वेतन भुगतान एवं कालेज के गैर वेतन व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 400.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 400.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2203-	तकनीकी शिक्षा	
112-	इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
28-	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मैनपुरी	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	300.30
	योग -	400.30

---

195 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को सहायता अनुदान

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज में नियुक्त निदेशक / शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर पदों पर तैनात कर्मियों के वेतन भुगतान एवं कालेज के गैर वेतन व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 400.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 400.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2203-	तकनीकी शिक्षा	
112-	इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
29-	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	300.30
	योग -	400.30

---

197 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र को सहायता अनुदान

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र में नियुक्त निदेशक / शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर पदों पर तैनात कर्मियों के वेतन भुगतान एवं कालेज के गैर वेतन व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 400.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 400.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2203-	तकनीकी शिक्षा	
112-	इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
30-	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	300.30
	योग -	400.30

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

235 आधार नामांकन किट की व्यवस्था

बाल विकास परियोजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के समस्त लाभार्थियों को आधार से लिक कराये जाने के लिये प्रदेश के 897 बाल विकास परियोजना कार्यालयों को आधार इनरोलमेन्ट किट उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 4036.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 4036.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0129- आधार नामांकन किट की व्यवस्था (के.60/रा.40.-के.+ रा.)
42-अन्य व्यय 4036.50

---

236 नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम

कुपोषण को दूर करने तथा मातृ शिशु, बाल मृत्युदर और मातृ-बाल कुपोषण में कमी लाये जाने के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना - "नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 8050.75 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 8050.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0130- नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20.-के.+ रा.)
42-अन्य व्यय 8050.75

अनुदान संख्या 050

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

198 नवसृजित तहसीलों में तहसीलदार / उप जिलाधिकारी हेतु वाहन क्रय

नवसृजित 10 तहसीलों में तहसीलदार / उप जिलाधिकारी के लिये 20 टाटा सूमो गोल्ड के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 114.28 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 114.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2053- जिला प्रशासन
093- जिला स्थापनाएं
03- कलेक्टरी स्थापना
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 114.28

---

199 प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 1286.65 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 1286.65 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
02- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण / विस्तार /पुनर्निर्माण / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1286.65

---

200 प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / विस्तार / सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 984.84 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 984.84 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
106- साधारण पूल आवास
03- आवासीय भवन
0301- प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 984.84

अनुदान संख्या 051

राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

201 जनपदों में मॉक एक्सरसाईज का आयोजन

आपदा से प्रभावी बचाव के लिये प्रदेश के 23 जनपदों में मॉक एक्सरसाईज के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 23.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 23.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0102- जनपदों में मॉक एक्सरसाइज का आयोजन

42-अन्य व्यय 23.00

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में निर्माण कार्य

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मुख्यालय के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
800- अन्य व्यय
04- राजस्व परिषद ,लखनऊ / इलाहाबाद के अनावासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 150.00

तहसील स्तर पर राजस्व बन्दी गृहों के निर्माण कार्य

जनपद मिर्जापुर, इटावा, मथुरा, गोण्डा, जालौन, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सन्तकबीर नगर तथा जनपद - इलाहाबाद की तहसीलों में राजस्व बन्दी गृहों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.46 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.46 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
04- तहसील स्तंर पर राजस्व बन्दीगृहो का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 30.46

लेखपाल प्रशिक्षण विघालय एवं छात्रावास, गोण्डा के अवशेष कार्यों को पूरा कराया जाना

लेखपाल प्रशिक्षण विघालय एवं छात्रावास, गोण्डा के अवशेष कार्यों को पूरा कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 581.85 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 581.85 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
05- लेखपाल प्रशिक्षण विघालय एवं छात्रावास, गोण्डा के अवशेष कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 581.85

---

206 लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट का उच्चीकरण

लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
06- लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चिनहट का उच्चीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

---

205 राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य

राजस्व परिषद, इलाहाबाद कार्यालय में निर्माणाधीन श्रेणी-4 के अपूर्ण आवासीय भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.44 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.44 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में विभिन्न निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 20.44

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

026 कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं अन्य जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 35.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 35.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- निर्माण - लोक निर्माण
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 35.00

---

027 अनावासीय भवनों का उन्नयन

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 224.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 224.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 224.00

---

028 निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का निर्माण / विस्तार / जीर्णोद्धार कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 700.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 700.00

---

029 राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 120.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 120.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 120.00

---

030 अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

---

031 आवासीय / अनावासीय नये भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग परिसर, इलाहाबाद में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
25- लोक सेवा आयोग परिसर, इलाहाबाद में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 50.00

---

032 आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्यों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 20.00

---

033 दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रैम्प निर्माण, शौचालय निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 20.00

---

034 जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों के अध्यासन हेतु आवासों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
106- साधारण पूल आवास
03- निर्माण - लोक निर्माण
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

---

035 आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आवास हेतु समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 349.99 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 349.99 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सरकारी रिहायशी भवन

700 - अन्य आवास

05 - निर्माण-अन्य

0537 - कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 349.99

---

036 राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में कतिपय लघु निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सरकारी रिहायशी भवन

700 - अन्य आवास

05 - निर्माण-अन्य

0538 - राजभवन, लखनऊ

25-लघु निर्माण कार्य 50.00

अनुदान संख्या 056

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

037 पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

---

038 बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 140.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 14000.00

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

039 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 78.79 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 78.79 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0403 - ग्रामीण सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 7879.00

---

040 रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 39.39 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 39.39 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
05 - रेलवे उपरिगामी सेतु
0517 - रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 3939.00

---

041 सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 39.39 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 39.39 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
36 - प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)
24-वृहत् निर्माण कार्य 3939.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

042 राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण

महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 79.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 79.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
03 - राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य
0306 - राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 7900.00

---

043 प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एकमुश्त व्यवस्था
1328 - प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

---

044 तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण

प्रदेश की समस्त तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एकमुश्त व्यवस्था
1347 - प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

---

045 शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
85 - शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फलाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

046 राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
800 - अन्य व्यय
03 - उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
0301 - राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 4000.00

---

047 रोड फर्नीचर एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों पर रोड फर्नीचर एवं सौन्यर्दीकरण आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
10 - प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों पर रोड फर्नीचर / सौन्दर्यीकरण ण आदि कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

---

048 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में मार्ग सुरक्षा कार्य

प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार करने के लिये मार्ग सुरक्षा कार्यों यथा - रोड ज्यामिति में सुधार, स्कूल, अस्पताल आदि के पास पाथ-वे, साईकिल ट्रैक का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
11 - प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार करने के लिये मार्ग सुरक्षा कार्यों यथा रोड ज्यामिति में सुधार, स्कूल, अस्पताल आदि स्थलों के पास पाथ - वे / साईकिल ट्रैक निर्माण के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

---

049 प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1330 - प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

---

050 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1332 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

051 मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण

जिला योजनान्तर्गत मिसिंग लिंक के ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1333 - मिसिंग लिंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

---

052 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1334 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

---

053 क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि वन विभाग को दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1335 - क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

---

054 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओं का निर्माण

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

65- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

---

055 आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों व लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

056 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

86- नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

---

057 अनजुड़ी बसावटों में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश के 250 अथवा उससे अधिक आबादी के समस्त ग्रामों / बसावटों के पक्के सम्पर्क मार्गों से सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर जोड़े जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
93- अनजुड़ी बसावटों में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

---

058 पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण / उच्चीकरण / पुनर्निर्माण

प्रदेश में पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण / उच्चीकरण / पुनर्निर्माण के कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
95- प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण / उच्चीकरण / पुर्ननिर्माण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

---

059 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

प्रदेश के समस्त अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
99- पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

---

060 केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के मार्गों पर बढ़ते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सड़क निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण /

सुदृढीकरण किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
800 - अन्य व्यय
04 - केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य
0470 - मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

---

061 विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना

विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
05 - अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
97 - वाह्य सहायतित परियोजनायें
9702 - विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

062 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
05 - अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
97 - वाह्य सहायतित परियोजनायें
9704 - एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उ 0 प्र 0 जिला सड़क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

063 अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 13 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 13 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
80 - सामान्य
004 - अनुसंधान
04 - अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चीकरण
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100.00

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

013 सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री

कृषकों को कृषि वानिकी के लिये प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आय-सृजन तथा ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सहायतित "सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री" योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रूपये 145 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रूपये 1855 लाख अर्थात् इस रूपये हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव		
01 - वानिकी		
102 - समाज तथा फार्म वानिकी		
09 - सब मिशन ऑन एग्रो फॉरैस्ट्री (के.60/रा.40-के.+रा.)		
04-यात्रा व्यय		5.00
08-कार्यालय व्यय		20.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद		20.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		100.00
	योग -	145.00
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय		
01 - वानिकी		
102 - समाज तथा फार्म वानिकी		
10 - सब मिशन ऑन एग्रो फॉरैस्ट्री (के.60/रा.40-के.+रा.)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1840.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		15.00
	योग -	1855.00
	कुल योग -	2000.00

---

012 कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना

"कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत ईको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना" कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4406 -	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
02 -	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110 -	वन्य जीव	
08 -	कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत इको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना (सी0 सी0 एल 0 प्रणाली)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	485.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	15.00
	योग -	500.00

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

181 ई-पेंशन प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु पेंशन निदेशालय एवं मण्डलीय कार्यालयों पर बी.एस.एन.एल. से इन्टरनेट लीज़ लाईन

ई-पेंशन प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिये पेंशन निदेशालय एवं मण्डलीय कार्यालयों पर बी.एस.एन.एल. से इन्टरनेट लीज़ लाईन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 91.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 91.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2054 -	खजाना तथा लेखा प्रशासन	
800 -	अन्य व्यय	
03 -	पेंशन निदेशालय	
	13-टेलीफोन पर व्यय	91.00

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

014 विधान परिषद् की कार्यवाहियों का आटोमेशन / डिजिटाइजेशन

विधान परिषद् की कार्यवाहियों का आटोमेशन / डिजिटाइजेशन कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- विधान परिषद की कार्यवाहियों का ऑटोमेशन /डिजिटाइजेशन

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 500.00

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

016 विधान भवन की चित्र वीथिका में स्थापित माननीय मुख्यमंत्रियों के तैल चित्रों तथा राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में स्थापित माननीय अध्यक्षों के तैल चित्रों का अनुरक्षण

विधान भवन की चित्र वीथिका में स्थापित माननीय मुख्यमंत्रियों के तैल चित्रों तथा राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन हाल में स्थापित माननीय अध्यक्षों के तैल चित्रों का अनुरक्षण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 57.42 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 57.42 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
101- विधान सभा
03- विधान सभा
29-अनुरक्षण 57.42

---

017 विधान सभा परिसर में स्थित महिला विश्रामालय कक्ष का आधुनिकीकरण तथा मुख्य भवन स्थित सभा मण्डप एवं विभिन्न दीर्घाओं में स्थापित आसनों की मरम्मत तथा कुशन, गद्दियों को परिवर्तित कराया जाना

विधान सभा परिसर में स्थित महिला विश्रामालय कक्ष का आधुनिकीकरण तथा मुख्य भवन स्थित सभा मण्डप एवं विभिन्न दीर्घाओं में स्थापित आसनों की मरम्मत तथा कुशन, गद्दियों को परिवर्तित कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 52.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 52.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 52.30

---

015 विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत कार्य

विधान सभा परिसर में सभा मण्डल के झूमर एवं अन्य उपकरणों के जीर्णोद्धार के लिये रूपये 13.61 लाख, साइवर सेल के स्पिलिट ए.सी. की स्थापना के लिये रूपये 1.15 लाख, माननीय सभापतियों के कार्यालय कक्षों एवं माननीय विधायक / निर्दलीय, विधान सभा के कार्यालय कक्षों में वातानुकूलन संयंत्रों की स्थापना के लिये रूपये 18.70 लाख, मुख्य विधान भवन भूतल स्थित दक्षिणी प्रसार में समिति सामान्य अनुभाग-1 एवं 2 तथा अधिकारी कक्षों में फाल्स सीलिंग के पश्चात् एल.ई.डी. लाईट फीटिंग एवं विद्युतीकरण के लिये रूपये 13.16 लाख तथा विधान भवन पुस्तकालय के अंग्रेजी खण्ड एवं भूगर्भ खण्ड के बरामदे में स्थापित वी.आर.बी. के विद्युतीकरण सम्बन्धित कार्य के लिये रूपये 8.58 लाख, अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 55.20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 55.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 55.20

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

018 स्किल्स एक्जीविशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईविलीहुडनेस (संकल्प)

कौशल विकास मिशन के माध्यम से केन्द्र सहायतित "स्किल्स एक्जीविशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईविलीहुडनेस (संकल्प)" योजना के लागू करके प्रदेश में कौशल विकास से जुडी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230 - श्रम तथा रोजगार

03 - प्रशिक्षण

003 - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - कौशल विकास मिशन के माध्यम से "स्किल्स एक्जीविशन एण्ड नालेज अवेयरनेस फॉर लाईवलीहुडनेस (संकल्प) योजना" का क्रियान्वयन (के.60/रा.40.-के.+रा.)

42-अन्य व्यय 600.00

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

019 निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने हेतु प्रोत्साहन

"ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा का प्रोत्साहन" योजनान्तर्गत निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराये जाने के लिये प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत

60 - अन्य

800 - अन्य व्यय

07 - ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परमपरागत ऊर्जा का प्रोत्साहन

0704 - निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराया जाना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2500.00

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

020 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिये संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
04- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 50000.00

---

021 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के 09 अपूर्ण कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 501.32 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 501.32 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
07- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 501.32

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

023 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय
02- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)
0202- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन (के.60/रा.40.-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 8000.00

---

022 प्रदेश में संचालित विभिन्न बोर्ड से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र / छात्राओं को सम्मानित किया जाना

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अतिरिक्त विभिन्न बोर्ड क्रमशः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेसन्स, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त मेधावी छात्र / छात्राओं को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 85.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 85.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
800- अन्य व्यय
17- हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र / छात्राओं का सम्मान
42-अन्य व्यय 85.00

---

024 राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विघालयों में विदेशी भाषा पढाया जाना

वैश्विक समरसता एवं सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से जनपद आगरा, मथुरा, वाराणसी एवं लखनऊ के दो-दो राजकीय इण्टर कालेज (बालक / बालिका) एवं दो-दो सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विघालयों (बालक / बालिका) में विदेशी भाषा में दक्ष अनुभवी एवं विशेषज्ञों के माध्यम से छात्र / छात्राओं को विदेशी भाषा पढाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 11.20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 11.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
05- भाषा विकास	
200- अन्य भाषाओं की शिक्षा	
03- गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विघालयों में विदेशी भाषा पढाया जाना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5.60
04- सरकारी उच्चतर माध्यमिक विघालयों में विदेशी भाषा पढाया जाना	
42-अन्य व्यय	5.60
योग -	11.20

---

506 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना एवं भवन निर्माण तथा राजकीय विघालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण / अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के.60/रा.40.-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्डस)

025 कुम्भ मेला में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन, प्रबन्धन एवं संचरण

कुम्भ मेला में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन, प्रबन्धन एवं संचरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 1279.15 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 1279.15 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070-	अन्य प्रशासनिक सेवायें	
107-	होमगार्डस	
09-	कुम्भ मेला - 2019 , इलाहाबाद	
	02-मजदूरी	1200.00
	04-यात्रा व्यय	53.66
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.29
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.42
	42-अन्य व्यय	20.78
	योग -	1279.15

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

207 दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना

असंगठित कर्मकारों के लिये दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 125.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 125.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार
01- श्रम
111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा
03- असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना
42-अन्य व्यय 125.00

---

208 अटल पेंशन योजना

असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को 60 वर्ष की आयु के उपरान्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये "अटल पेंशन योजना" लागू की जानी है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 12.52 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 12.52 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार
01- श्रम
111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा
06- असंगठित कर्मकारों हेतु अटल पेंशन योजना
42-अन्य व्यय 1252.00

---

209 उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण निधि

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये "उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण निधि" का गठन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम तथा रोजगार
01- श्रम
111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा
07- असंगठित कर्मकार कल्याण निधि
42-अन्य व्यय 200.00

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

210 मानसिक मंदित आश्रय सह प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ एवं गोरखपुर की चहारदीवारी का निर्माण / ऊँचा किया जाना

मानसिक मंदित आश्रय सह प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ की चहारदीवारी ऊँची किये जाने तथा मानसिक मंदित आश्रय सह प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर की चहारदीवारी के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 28.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 28.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	समाज कल्याण	
101-	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
31-	मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों में निर्माण कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	28.30

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

226 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 16.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 16.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
02- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
0203- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन (के.60/रा.40.-के.+ रा.)
42-अन्य व्यय 1600.00

---

215 वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 636.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 636.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
14- वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (के.60/रा.40.-रा.)
42-अन्य व्यय 636.30

---

212 लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक / डिप्लोमा होल्डर का प्रशिक्षण

लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक / डिप्लोमा होल्डर के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 9.62 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 9.62 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं
0101- लघु सिंचाई के अन्तर्गत अभियंत्रण स्नातक डिप्लोमा होल्डर का प्रशिक्षण (के.50/रा.50.-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 9.62

---

211 केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना

प्रदेश के रेशम कार्यक्रम के तहत कीटपालन गृह निर्माण एवं मशीनों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 41.63 लाख की

आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 41.63 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
14- केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 41.63

---

507 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत नवीन राजकीय हाई स्कूलों की स्थापना एवं भवन निर्माण तथा राजकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 16.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 16.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0109- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण / अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के.60/रा.40.-के.+ रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 1600.00

---

214 मुख्यमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

प्राकृतिक आपदा के कारण आवासविहीन परिवार, कालाजार, जे.ई. प्रभावित क्षेत्र के तथा वनटांगिया एवं मुसहर जनजाति के आवास विहीन तथा कच्चे / जर्जर आवासों में निवास करने वाले ऐसे परिवार, जो सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण की पात्रता सूची में नहीं आते हैं, के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
03- ग्रामीण आवास
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06- मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

216 पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनायें

अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइवल सब प्लान के अन्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं में नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
02- पिछड़े क्षेत्र
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

---

217 बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनायें

अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइवल सब प्लान के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
02- पिछड़े क्षेत्र
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें
24-वृहत् निर्माण कार्य 6000.00

---

213 वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन

वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन (स्थल विशेष एवं विशिष्ट प्रकृति) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 13.80 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 13.80 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
10- वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन
24-वृहत् निर्माण कार्य 1380.00

---

220 राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

---

223 राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

---

227 अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 2.74 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 2.74 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 274.00

---

194 अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य

अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
09- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

---

219 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
10- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

---

218 कृषि विपणन के लिये मार्गों / लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

कृषि विपणन के लिये मार्गों / लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
11- कृषि विपणन के लिये मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

---

224 रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.61 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.61 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
19- रेलवें उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1061.00

---

221 ग्रामीण सेतुओं के नये कार्य

ग्रामीण सेतुओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 13.45 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 13.45 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 1345.00

---

222 नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.61 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.61 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1061.00

---

225 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

26 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

अनुदान संख्या 089

संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

228 वाणिज्य कर कार्यालयों में लिफ्ट की स्थापना तथा विभागीय भवनों / आवासीय भवनों में विभिन्न लघु निर्माण कार्य

वाणिज्य कर कार्यालय, गाजियाबाद में 02 लिफ्ट का निर्माण एवं परिसम्भागीय वाणिज्य कर कार्यालय भवन, नोएडा एवं वाणिज्य कर कार्यालय, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट लगाये जाने के लिये रूपये 433.20 लाख तथा विभागीय भवनों / आवासीय भवनों में विभिन्न लघु निर्माण कार्यों के लिये रूपये 500 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 933.20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 933.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
08-	वाणिज्यकर कार्यालय भवनों में लिफ्ट की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	433.20
31-	सहायता केन्द्र / विभागीय कार्यालय भवनों / आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य	
	25-लघु निर्माण कार्य	500.00
	योग -	933.20

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

229 कबीर अकादमी की स्थापना

आंचलिक भाषाओं एवं लोक विधाओं के विकास के लिये कबीर अकादमी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन
07- कबीर अकादमी की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 50.00

---

230 कुम्भ मेला-2019, इलाहाबाद

कुम्भ मेला-2019, इलाहाबाद के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन
08- कुम्भ मेला-2019, इलाहाबाद
42-अन्य व्यय 500.00

---

231 जनपद - बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित करने के लिये संग्रहालय

जनपद - बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति से सम्बन्धित संस्कृति को संरक्षित करने के लिये संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
106- संग्रहालय
10- जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

064 मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 146.62 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 146.62 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2701-	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	
56-	राम की पैड़ी (वाणिज्यिक)	
101-	रख - रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख - रखाव व्यय	
0303-	यांत्रिक कार्य	
	29-अनुरक्षण	4.80
78-	बुंदेलखण्ड के अधीन विभिन्न बांधों / बैराजों के जल यांत्रिक प्रणालियों का अनुरक्षण	
101-	रख-रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख रखाव व्यय	
0303-	यांत्रिक कार्य	
	29-अनुरक्षण	96.51
79-	निचली गंगा नहर प्रणाली पर स्थापित रेगुलेटर गेटस का अनुरक्षण	
101-	रख-रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख रखाव व्यय	
0303-	यांत्रिक कार्य	
	29-अनुरक्षण	26.04
81-	दूनी बैराज के जल यांत्रिक प्रणालियों का यांत्रिक अनुरक्षण	
101-	रख-रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख रखाव व्यय	
0303-	यांत्रिक कार्य	
	29-अनुरक्षण	8.71
82-	अहरौरा बांध अपर खजुरी बांध एवं ढेकवा बांध के जल यांत्रिक प्रणालियों का यांत्रिक अनुरक्षण	
101-	रख-रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख रखाव व्यय	
0303-	यांत्रिक कार्य	
	29-अनुरक्षण	10.56
	कुल योग -	146.62

---

069 मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 18089.72 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 18089.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
17- आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 1213.82
10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- सम्बद्ध कार्य
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1008- लाइनिंग
24-वृहत् निर्माण कार्य 275.90
36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00
39- वृहद एवं मध्यम लिफ्ट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
13- विभिन्न लिफट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना(नाबार्ड)
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00
97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
कुल योग -	18089.72

---

077 लघु सिंचाई की परियोजनायें

लघु सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 39.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 39.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

101- सतही जल

03- उठाऊ सिंचाई

0319- लघु डाल नहरों पर 33 के0 वी0 स्वतंत्र फीडर के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

0329- तिलापुर पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

04- प्रस्यावतन योजनायें

0422- जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों के निर्माण की परियोजना

24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग -	2500.00

102- भू जल

03- नलकूप योजनायें

0320- राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

0321- ग्रिड ऊर्जा द्वारा संचालित राजकीय नलकूपों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाइब्रिड सिस्टम से संचालन की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
योग -	1400.00

---

082 बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 40128.90 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 40128.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - बाढ़ नियंत्रण	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5549.76
0103 - त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
07 - अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
08 - तट बंधों का निर्माण	
0840 - तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
09 - कटाव निरोधक योजनायें	
0984 - नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	17500.00
23 - नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4892.00
योग -	38441.76
03 - जल निकास	
103 - सिविल निर्माण कार्य	
03 - जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	
0305 - पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1487.14
07 - जल निकास योजना (नावार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग -	1687.14
कुल योग -	40128.90

अनुदान संख्या 095

सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

183 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग

"उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 6.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में रूपये 6.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई

32- वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना(द्वितीय चरण) (वाणिज्यिक)

800- अन्य व्यय

97- वाह्य सहायतित परियोजनाएं

9703- उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग

01-वेतन	300.00
03-मंहगाई भत्ता	15.00
04-यात्रा व्यय	10.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00
06-अन्य भत्ते	30.00
08-कार्यालय व्यय	5.00
09-विद्युत देय	10.00
10-जलकर / जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	9.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10.00
18-प्रकाशन	6.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6.00
42-अन्य व्यय	6.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	6.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00
49-चिकित्सा व्यय	8.00
51-वर्दी व्यय	1.00
योग -	650.00